(1) अपील/एल.आर./163/2018/श्रीगंगानगर
(2) अपील/एल.आर./164/2018/श्रीगंगानगर
रामकुमार बनाम भागसिंह

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री दिनेश कुमार सेन, अभिभाषक अपीलांट
श्री अमृतपाल सिंह एवं श्री जसराज जयपाल, अभि0 रेस्पो0

दिनांक : 07.02.2022

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 87/2017 एवं 89/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27–12–2017 के विरूद्ध धारा 76राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय–वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन है कि अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 14 के तहत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो.सं.1 भागसिंह को चक 4 बी.के.एस.एम. के पत्थर नंबर 96/1 के किला नंबर 6, 14 ता 19, 22 ता 25 की 11 बीघा, पत्थर नंबर 161/451 के किला नंबर 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 22 की 16 बीघा इस प्रकार कुल 27 बीघा भूमि दिनांक 18–5–1982 को आवंटन की गई थी। रेस्पो.सं.1 भागसिंह द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट से स्पष्ट था कि रेस्पो.सं.1 भागसिंह राजस्थान का निवासी नहीं है इसलिए भागसिंह को आवंटन नहीं हो सकता था तथा

</td><td>

WR

</td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन की पालना में भागसिंह को भूमि का कभी भी कब्जा नहीं दिया गया एवं ना ही उसने कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया। तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने दिनांक 8–5–1976 को रेस्पो.सं.1 को 17 बीघा भूमि पाने का पात्र माना था तथा रेस्पो.सं.1 ने 27 बीघा भूमि अपने नाम आवंटन करवा ली। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति और दिनांक 19–5–1998 को किश्ते भरवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अलग–अलग है जो जालसाजी करके न्यायालयों को गुमराह कर रहे हैं। चूंकि रेस्पो.सं.1 पिछले लगभग 18 वर्षो से युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में निवास करता आ रहा है और वहां की नागरिकता भी प्राप्त की हुई है इसलिए भागसिंह का आवंटन निरस्त किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 9–8–2017 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर चक 4 बी0के0एस0एम0 के पत्थर नंबर 96/1 के किला नंबर 6, 14 ता 19, 22 ता 25 की 2.683है0 भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया और शेष भूमि की जांच कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो.सं.1 का संपूर्ण आवंटन निरस्त किया जावे जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 89/2017 दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.सं. 1 को तलब किया एवं अपील संख्या 87/2012 रेस्पो.सं.1 ने पेश की। तत्पश्चात अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों पर उभय पक्षकारों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–12–2017 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को विधि विरूद्ध तरीके से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त कर दिया और रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रश्नगत पृथक–पृथक अपीलें पेश की हैं। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने का मुख्य आधार यह माना है कि माननीय राजस्व मण्डल की लार्जर बेंच द्वारा 1995 आरआरडी 172 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि 'आवंटन को 1970 के आवंटन नियमों के तहत निरस्त करना केवल आवंटी व राज्य सरकार की बीच का मामला है तथा आवंटन के विरूद्ध शिकायत करने वाले व्यक्ति की हैसियत केवल सूचना देने वाले की होती है और वह पक्षकार नहीं होता है, उसे जिला कलक्टर द्वारा उसके शिकायत प्रार्थना पत्र के प्रभावी निस्तारण के सीमित प्रयोजनार्थ सुना जा सकता है। अगर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो व्यथित पक्षकार केवल आवंटी है, जो राजस्व अपील प्राध्किारी के समक्ष अपील कर सकता है, ऐसी अपील में शिकायतकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं है और अगर ऐसी अपील में शिकायतकर्ता को पक्षकार बना भी लिया जाता है तो भी उसे यह अधिकार नहीं है कि वह वादकारण को आगे बढावे और यदि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील में आवंटन को बहाल कर दिया जाता है तो केवल राज्य सरकार ही एकमात्र व्यथित पक्षकार होती है जो कि द्वितीय अपील में जा सकती है, शिकायतकर्ता ऐसे प्रकरण में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का हकदार नहीं'' इसी आधार पर अपीलांट को अपील पेश करने का लोकस नहीं मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। जबकि 2002 आरआरडी 41 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1995 आरआरडी 172 में वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के विरूद्ध मानते हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह अभिनिर्धारित किया कि जिस व्यक्ति की शिकायत से 1970 के नियमों के नियम 14 (4) की कार्यवाही प्रारम्भ होती है वह व्यक्ति उक्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार है और ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल की लार्जर बेंच के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया था जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट की प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गयी थी जिस पर मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि उपनिवेशन क्षेत्र में किसी भी श्रेणी का आवंटन करने से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (इं.गां.न.प.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7 की पालना करना आज्ञापक है। नियम 7 में यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन–कौन व्यक्ति आवंटन के पात्र होंगे। आवंटन अधिकारी के समक्ष रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संबंधित तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व फोटो फार्म पर संबंधित तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि आवंटी व आवंटी का पिता दिनांक 1–4–1955 को राजस्थान के निवासी नहीं है और राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के नियमों के तहत आवंटन उसी व्यक्ति को किया जाता है जो 1.4.1955 से पूर्व राजस्थान का निवासी हो। जबकि रेस्पो.सं.1 व उसका पिता दिनांक 1.4.1955 से राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे तथा नियम 7 में स्थापित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक प्रावधानों के अनुसार रेस्पो.सं.1 न तो विवादित भूमि के ग्राम का निवासी था, न ही सूरतगढ तहसील का निवासी था। इसलिए तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने नियम 7 में स्थापित आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर रेस्पो.सं. 1 को विवादित भूमि का आवंटन कर दिया जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य था। इसी प्रकार राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के नियम 8 व 9 की पालना भी आवंटन अधिकारी द्वारा नहीं की गई। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 18–5–1982 की पालना में विवादित भूमि का कब्जा कभी भी रेस्पो.सं.1 को नहीं दिया गया और ना ही रेस्पो.सं.1 ने भूमि का कब्जा प्राप्त किया। ऐसे में रेस्पो.सं.1 मात्र पेपर आवंटी है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है और इस संबंध में विचारण न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार से विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट मांगी थी, जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि विवादित भूमि पर आज दिनांक को भी रेस्पो.सं.1 का कब्जा काश्त नहीं है और इन्ही आधारों पर विचारण न्यायालय ने रेस्पो.सं.1 भागसिंह का आवंटन खारिज किया था। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर रेस्पो.सं.1 का आवंटन भी निरस्त किया जावे। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 87/2017 एवं 89/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27–12–2017 को निरस्त कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18–5–1982 को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–12–2017 को विधि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्मत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट रामकुमार एवं रेस्पो.सं.1 भागसिंह ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 9–8–2017के विरूद्ध पृथक–पृथक अपीलें पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रस्तुत अपीलों को एक साथ निर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 27–12–2017द्वारा रेस्पो.सं.1 भागसिंह की अपील को स्वीकार कर लिया एवं अपीलांट रामकुमार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील को खारिज करने का आधार यह लिया कि ''अपीलांट रामकुमार की कोई Legal locus-standai नहीं होने से अपील सं. 89/2017 खारिज की जाती है।'' इस संबंध अपीलांट के अधिवक्ता का तर्क है कि 2002 आरआरडी 41 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1995 आरआरडी 172 में वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के विरूद्ध मानते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जिस व्यक्ति की शिकायत से 1970 के नियमों के नियम 14 (4) की कार्यवाही प्रारम्भ होती है वह व्यक्ति उक्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार है और ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल की लार्जर बेंच के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट की प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहत प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2002 आरआरडी 41 में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है– "Rajasthan Land Revenue Act, Section 76 & 83- C.P.C., Section 100- Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rule 14(4)- Second appeal before Board of Revenue- Held, second appeal u/s 76 of L.R. Act by a complainant, who initiated proceedings u/R. 14(4) of 1970 Rules and who was a party before R.A.A., id maintainable- 1995 RRD 172 (L.B.), Overruled." उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ता रामकुमार को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष कानूनन अपील प्रस्तुत करने की Locus standi थी, ऐसे में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को Legal locus-standi नहीं होना मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। साथ ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इं.गां.न.प.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7, 8 एवं 9 में प्रावधित प्रावधानों पर भी कोई विचार नहीं किया है एवं ना ही कोई विवेचन किया है। ऐसे में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 87/2017 एवं 89/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27–12–2017 निरस्त किया जाता हैं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त Observation के परिपेक्ष्य में अपीलांट रामकुमार एवं रेस्पो.सं.1 भागसिंह द्वारा प्रस्तुत अपीलों में पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	